प्रेसनोट
दिनांक 11.10.2024, थाना परसपुर
जनपद गोण्डा।

थाना परसपुर पुलिस द्वारा अवैध पटाखों के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से लगभग 03 बोरी व 02 गत्ता विभिन्न प्रकार की पटाखे बरामद।

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों व आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अवैध पटाखों के निर्माण/भंडारन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना परसपुर की पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त लाल बहादुर पुत्र स्व0 रामशरण निवासी बालपुर रोड कस्बा व थाना परसपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 03 बोरी व 02 गत्ते में विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 10.10.2024 को थाना परसपुर की पुलिस टीम नवरात्रि दुर्गा पूजा/रामलीला के दृष्टिगत परसपुर क्षेत्र में लगे पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु रवाना थे कि सूचना प्राप्त हुई कि लालबहादुर बालपुर रोड पर अपने दुकान में अवैध पटाखों का भंडारन कर रखा है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीमों द्वारा अभियुक्त लाल बहादुर पुत्र स्व0 रामशरण निवासी बालपुर रोड कस्बा व थाना परसपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 03 बोरी व 02 गत्ता में विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना परसपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. लाल बहादुर पुत्र स्व0 रामशरण निवासी बालपुर रोड कस्बा व थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 405/24, धारा 288 बीएनएस व 9बी विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 03 बोरी में विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अमित कुमार गुप्ता
02. हे0का0 अजय राय
03. का0 सुबेन्द्र

मीडिया सेल, गोण्डा।